टिप्पणीः– पत्र–1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% (तीस प्रतिशत) है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जायेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थियों के पत्र–2 एवं पत्र–3 का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा प्रश्न पत्र–2 में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र–3 का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम

पत्र – 1 (भाषा ज्ञान)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान :–

(i) हिन्दी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न – 20 प्रश्न

(ii) हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न – 60 प्रश्न

इस विषय में हिन्दी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान :–

(i) अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न – 20 प्रश्न

(ii) अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न – 20 प्रश्न

इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

पत्र – 2 (क्षेत्रीय भाषा)

हिंदी/अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी (मुण्डा)/ हो/ खड़िया/ कुड़ूख (उरांव)/ कुरमाली/ खोरठा/ नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे।

क्षेत्रीय भाषा का पाठ्यक्रम **परिशिष्ट XIV** में संलग्न है।

पत्र –3 (सामान्य ज्ञान)

(क) सामान्य अध्ययनः–

इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस–पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है।

इसमें भारत देश एवं झारखण्ड राज्य के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम–सामयिक विषय – राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्त्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखण्ड राज्य की सामान्य जानकारी।

(ख) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान :– झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता संस्कृति, भाषा–साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखण्ड का योगदान, विकास योजनाएँ, खेल–खिलाड़ी इत्यादि।

(ग) सामान्य गणित :– इस विषय में सामान्यतः अंक गणित से सम्बन्धित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(घ) सामान्य विज्ञान :–

सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित विषय रहेंगें, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

19. मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण :

(i) आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत प्रश्न पत्र 2 एवं 3 के विषयों के प्राप्तांक/Normalised प्राप्तांक के योगफल के आधार पर सामान्य मेधा–सूची (Common Merit List) तैयार की जायेगी और **मेधा (Merit)** के आधार पर कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

(ii) मेधा–सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हे अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में

उनके मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।

(iii) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरूद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जायेगा।

(iv) परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक (प्रश्न पत्र 2 एवं 3 को जोड़कर) से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा–सूची में शामिल नहीं किया जायेगाः–

(I) अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग – 40 (चालीस) प्रतिशत

(II) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग – 32 (बत्तीस) प्रतिशत

(III) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग –(अनुसूची–1) – 34 (चौंतीस) प्रतिशत

(IV) पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 – 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत

(V) आदिम जनजाति – 30 (तीस) प्रतिशत

(v) उपर्युक्त उप कंडिकाओं के आधार पर सामान्य मेधा–सूची तैयार की जायेगी और तदुपरान्त रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षण कोटिवार चयन सूची गठित होगी।

20. ऊँचाई की माप एवं चिकित्सीय जाँच परीक्षा :–

लिखित परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर विज्ञापित कुल रिक्ति के सापेक्ष मेधासूची के आधार पर कोटिवार आरक्षण के अनुसार अभ्यर्थियों को चिकित्सीय परीक्षण हेतु अल्पसूचीबद्ध किया जायेगा। उक्त परीक्षण के अंतर्गत अभ्यर्थियों की ऊँचाई की माप एवं चिकित्सीय परीक्षण जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में अथवा उनके द्वारा गठित चिकित्सा पर्षद द्वारा किया जायेगा।

ii) **अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत शिरा, ऊँगलियों का उचित ढंग से नहीं घुमना, दृष्टिदोष, कलर ब्लाईंडनेश (Colour Blindness) / रतौंधी (Night Blindness), Hearing, Stammering, Bericocele/ Hydrocele/ Piles और Any Communicable Physical/ Mental disease आदि की चिकित्सीय परीक्षण की जायेगी।**

iii) अभ्यर्थियों की ऊँचाई की माप एवं चिकित्सीय जाँच परीक्षा में अयोग्य पाये गये अभ्यर्थियों को अपीलीय चिकित्सा पर्षद के समक्ष चिकित्सीय जाँच हेतु उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जायेगा। चिकित्सीय जाँच के मामले में अपीलीय चिकित्सा पर्षद का निर्णय अंतिम होगा एवं इसके विरूद्ध कोई अपील स्वीकार्य नही होगा।

iv) प्रथम चरण के उक्त चिकित्सीय परीक्षण के उपरांत विज्ञापित कुल रिक्ति के सापेक्ष योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आयोग द्वारा कोटिवार आरक्षण के अनुसार मेधाक्रम